Regd. No. 1955/2008-09 Mob. 9936216853

कृष्णा संजीवनी मानव सेवा संस्थान
Krishna Sanjiwani Manav Sewa Sansthan

कोदहूँ, इलाहाबाद रोड
पोस्ट- मुँगरा बादशाहपुर
जनपद- जौनपुर
पिन- 222 202

विद्ययाऽमृतमश्नुते

Kodahun, Allahabad Road
Post :- Mungra Badshahpur
Distt :- Jaunpur (U.P.)
Pin :- 222 202

सन्दर्भ संख्या/Reference No. .... दिनांक / Date 11/05/2022

सेवा में
अग्निशमन अधिकारी
जौनपुर उ०प्र०

विषय - अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के संदर्भ में

महोदय,
आपसे निवेदन किया जाता है कि मेसर्स कृष्णा संजीवनी मानव सेवा संस्थान, कोदहूँ मुँगरा बादशाहपुर जौनपुर को दि० 03/11/2018 में जो अग्नि सुरक्षा प्रमाण निर्गत किया गया है जिसकी वैधता दि० 02/11/2021 को समाप्त हो गयी है। उसे पुनः नवीनीकरण करें एवं अग्नि सुरक्षा पत्र देने की महती कृपा करें।

प्रार्थी फूलचन्द पाण्डेय
चेयरमैन, कृष्णा संजीवनी मानव सेवा संस्थान कोदहूँ
मुँ० बादशाहपुर जौनपुर
मो०- 9936216853

संलग्न - अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र
03/11/2018 - 02/11/2021

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जौनपुर।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

पत्र संख्याः एफएस / उ0शि0–एनओसी / 2018 **दिनांकः** 03–11–2018

प्रमाणित किया जाता है कि, मेसर्स **कृष्णा संजीवनी मानव सेवा संस्थान** (भवन / प्रतिष्ठान का नाम) पता **कोदहूँ, मुँगरा बादशाहपुर, जनपद–जौनपुर** जिसमें तलों की संख्या **भूतल, प्रथम तल** एवं बेसमेन्ट की संख्या **निल** है, जिसकी ऊँचाई **07.80 मीटर** तथा प्लाट एरिया **12096.00 वर्ग मीटर** है। भवन का अधिभोग **कृष्णा संजीवनी मानव सेवा संस्थान** (भवन स्वामी / अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाऐं एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी **आर0पी0राय** द्वारा दिनांक 02–11–2018 को भवन स्वामी **श्री फूलचन्द्र पाण्डेय** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानक के अनुसार यथास्थिति में पाया गया अन्य अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाऐं वांछनीय है। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) शैक्षणिक के अन्तर्गत वैधता तिथि 03–11–2018 से 02–11–2021 तक 03 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आप की होगी।

संलग्नकः यथोपरि 01 वर्क।

दिनांकः नवम्बर 03 ,2018

स्थान– जौनपुर।

03/11/18

(आर0पी0राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।

भवन का ढाँचागत विवरणः–

1. प्रश्नगत भवन भूतल निर्मित तथा प्रथम तल प्रस्तावित है। प्रस्तुत मानचित्र में भूतल तथा प्रथम तल का कवर्ड एरिया **495.6 वर्ग मीटर** प्रदर्शित है।
2. प्रश्नगत भवन की अधिकतम ऊँचाई **07.80 मीटर** है जो बहुमंजिली भवनों के अन्तर्गत परिभाषित नही है।

उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था व सुझावः–

1. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण फायर एक्सटिंग्यूशर्स उपलब्ध पाये गये।
2. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में फायर स्टेशन जौनपुर का टेलीफोन नम्बर 05452–269999, 9454418612 व 101 अंकित किया जाय।
3. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में होजरील, टैरेस टैंक, व टैरेस पम्प स्थापित किया जाना अनिवार्य है।
4. प्रश्नगत शैक्षिक भवन प्रबन्धन को फायर एक्सटिंग्यूशर के संचालन की जानकारी दी गयी।
5. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में स्थापित विद्युत व्यवस्थापन का परीक्षण विद्युत सुरक्षा विभाग से कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. भवन के ढाँचागत संरचना की सुदृढ़ता का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में प्रदर्शित ढाँचागत संरचना में अतिरिक्त निर्माण कार्य किया जाता है तो उसकी अनुमति/सूचना अग्निशमन विभाग से लेना अनिवार्य होगा। ढाँचागत परिवर्तन बिना अनुमति/सूचना के करने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार **कृष्णा संजीवनी मानव सेवा संस्थान, कोदहूँ, मुँगरा बादशाहपुर, जनपद–जौनपुर** को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता हैः–

1. विद्यालय भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
3. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
4. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाय तथा इमरजेन्सी इवेक्यूवेशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।
5. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
6. भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी की होगी।
7. विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
8. विद्यालय में मीड डे मिल/कैन्टीन आदि भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टिन सेड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जाय।
9. विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को न बैठाया जाय।
10. प्रबन्धन द्वारा स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्रत्येक वर्ष टेस्टिंग रिफिलिंग कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर अग्निशमन विभाग से निरीक्षण परीक्षण कराकर नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।
11. उक्त शर्तो/निर्देशो का उल्लंघन होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन कर विद्यालय भवन में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स का अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर व विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक होगा। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम के अकार्यशील पाये जाने व नवीनीकरण न कराये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की स्वयं होगी।

दिनांकः नवम्बर 03 ,2018

03/11/18

(आर0पी0 राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।